



# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दक्षिण वनमण्डल पन्ना (म.प्र.)

Office - 07732 - 252016, 291323, E-mail - dfosouth@rediffmail.com dfospanna@mpforest.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2023 / 3045  
प्रति,

पन्ना, दिनांक 16-06-2023

कार्यपालन अभियंता

म0प्र0पू0क्षे0वि0वि0 कम्पनी लिमि0 संभाग पन्ना (म0प्र0)

विषय :- सलेहा से कल्दा 33 के.व्ही. नवीन विद्युत लाईन ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/others/33428/2018 के संबंध में।

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक / 6-MPC007/2020-BHO दिनांक 19.05.2023

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत सलेहा से कल्दा 33 के.व्ही. नवीन विद्युत लाईन ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/others/33428/2018 में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा संलग्न संदर्भित पत्र से प्रकरण में कमियों की पूर्ति हेतु वापस भेजा गया है। जिसमें आपके द्वारा निम्नानुसार ऑनलाईन पूर्ति किया जाना है।

1. संशोधित काष्ट बेनेफिट एनालाइसेस अपलोड करें। (बिन्दु क्रमांक-2)
2. प्रकरण में विलंब के कारण का उल्लेख कर अपलोड करें। (बिन्दु क्रमांक-7)
3. प्रस्तावित विद्युत लाईन की KML FILE अपलोड है, परंतु KML FILE में प्रस्तावित सबस्टेशन को नहीं दर्शाया गया है। सबस्टेशन को भी दर्शाकर KML FILE अपलोड करें (बिन्दु क्रमांक-10)

अतः प्रकरण में उपरोक्तानुसार ऑनलाईन पूर्ति करे ताकि प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

पृ.क्रमांक / मा.चि. / 2023 / 3046  
प्रतिलिपि :-

- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू प्रबंध) सतपुड़ा भवन म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी  
दक्षिण वनमण्डल पन्ना (म.प्र.)  
पन्ना, दिनांक 16-06-2023

वनमण्डलाधिकारी  
दक्षिण वनमण्डल पन्ना (म.प्र.)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/एफ-4/12/2019/10-11/2101

भोपाल, दिनांक 23/05/23

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,  
सामान्य वन मंडल, दक्षिण पन्ना,  
मध्यप्रदेश।


विषय:- पन्ना जिले के वन मंडल दक्षिण पन्ना के अंतर्गत प्रभावित 21.00 हेक्टेयर वन भूमि 33 के.व्ही. सलेहा से कल्दा विद्युत लाईन निर्माण हेतु कार्यपालन अभियंता, म0प्र0पू0क्षे0वि0वि0 कम्पनी लिमिटेड, संभाग, पन्ना, मध्यप्रदेश को उपयोग हेतु देने बाबत।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/6-एमपीसी 007/2020-बीएचओ/ दिनांक 19.05.2023

-0-

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा उक्त संदर्भित पत्र से 10 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही है। भारत सरकार के पत्र की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि चाही गई बिन्दुवार जानकारी ऑनलाईन/हार्ड कापी में तत्काल इस कार्यालय को भेजे।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।



(सुनील अग्रवाल)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल


पृ० क्रमांक/एफ-4/12/2019/10-11/2102  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 23/05/22

1. मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर वृत्त, छतरपुर, मध्यप्रदेश।
2. कार्यपालन अभियंता, म0प्र0पू0क्षे0वि0वि0 कम्पनी लिमिटेड, संभाग, पन्ना, मध्यप्रदेश

की ओर भारत सरकार के संदर्भित पत्र की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।



प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक-95/23  
क्रमांक-24/5/23  
दक्षिण वन मंडल पन्ना



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &amp; CLIMATE CHANGE

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / INTEGRATED REGIONAL OFFICE, BHOPAL

Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,

BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक: 6-एमपीसी 007/2020-वीएचओ

दिनांक : 19/05/2023.

प्रति.

प्रधान सचिव (वन)  
मध्यप्रदेश शासन,  
वल्लभ भवन, भोपाल,  
(मध्यप्रदेश)।

विषय: पन्ना जिले के वनमण्डल दक्षिण पन्ना के अन्तर्गत 21.00 हेक्टर संरक्षित वनभूमि 33 के.व्ही. सलेहा से काल्डा विद्युत लाइन के निर्माण हेतु कार्यपालन अभियंता, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्रीय विद्युत वितरण कर्पोरेशन लिमिटेड को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ: 1 कार्यालय का पत्र क्रमांक 6-एमपीसी 007/2020-वीएचओ/266 दिनांक 03/03/2020.

2 लीडन अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक एफ-4/12/2019/10-11/788 दिनांक 21/02/2023.

भवदीय,

उपरोक्त विषयक एच सदरित पत्रों के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित अन्य वांछित जानकारियां/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। अतः निम्नलिखित जानकारियां/ दस्तावेज प्रेषित करने का कष्ट करें :-

1. The order of Hon'ble NGT dt. 07/03/2012 which is give at Para 18 of APCCF (LM) proposal forwarding letter dt. 07/02/2020 shall be made available to this office.
2. The C:B analysis as per revised NPV rates shall be submitted & uploaded.
3. Correct copy of Part-II (recommendation of DFO) and Part-III shall be uploaded.
4. DSS analysis, shows 38.00 ha MDF and 5.61 ha agriculture encroachment out of 42.00 ha CA land, the revised CA area in open forest shall be submitted.
5. The revised site specific CA scheme shall be submitted as per the Para 2.8 (iii) of FCA Handbook 2019.
6. Current status of area proposed for diversion with KML file ,w.r.t inviolate status needs to be submitted.
7. Reasons for delay in submission of reply shall be submitted.
8. Scheme of dwarf/medicinal plantation needs to be provided
9. List of affected trees and list of trees to be actually felled to be provided separately.
10. The substation also needs to be depicted in kml file and status of land on which substation is proposed needs to be indicated.

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(हर राम कुमार)

तकनीकी अधिकारी (यानिकी)